न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः 116/2017

दर्ज दिनांकः 11/09/2017

निर्णय दिनांक : 27/02/2018

नारायणलाल पुत्र नानगराम जाति ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम सेहदरिया, तहसील फागी, जिला जयपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. रामनारायण खटीक पुत्र लादूराम खटीक जाति खटीक, निवासीः बीची, तहसील फागी, जिला जयपुर।
2. रामेश्वर पुत्र लादूराम खटीक, जाति खटीक, निवासीः बीची, तहसील फागी, जिला जयपुर।
3. बोदूराम पुत्र लादूराम खटीक, जाति खटीक, निवासीः बीची, तहसील फागी, जिला जयपुर।
4. बिरदीचन्द पुत्र लादूराम खटीक, जाति खटीक, निवासीः बीची, तहसील फागी, जिला जयपुर।
5. चौथूराम पुत्र कल्याण जाति माली, निवासीः ग्राम सेहदरिया, तहसील फागी, जिला जयपुर।
6. सूर्यनारायण पुत्र नानगराम जाति ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम सेहदरिया, तहसील फागी, जिला जयपुर।
7. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
8. उपतहसीलदार माधोराजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी

उपस्थितः

श्री सुनील कुमार जोशी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी
श्री दौलतराम जाट एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 ल. 6
अप्रार्थी सं. 7 व 8 की ओर से पैरो0 राज0 उप0।

निर्णय दिनांकः 27/02/2018

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि खतौनी संख्या 141 के आराजी खसरा नंबर 417 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि ग्राम सेहदरिया, पटवार हल्का सेहदरिया, भू.अभि.नि.क्षेत्र डाबिच, तहसील फागी में स्थित आराजी का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में विवाद उत्पन्न करने लगे तो प्रार्थी ने आराजी भूमि का विधिवत रूप से श्रीमान उपतहसीलदार माधोराजपुरा के आदेश क्रमांक 10 दिनांक 20.05.2014 की पालना में दिनांक 28.05.2014 को पटवारी हल्का सेहदरिया से सीमाज्ञान करवाया गया जब सीमाज्ञान पूर्ण हो गया एवं फिर भी अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सीमाज्ञान की अनदेखी करने लगे तथा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शे अनुसार हुये सीमाज्ञान दिनांक 28/05/2014 को मध्यनजर रख पक्षकारो की मौजूदगी में सीमाज्ञान कर रिपोर्ट सीमाज्ञान प्रत्येक खेत की चारो भुजाओ की नाप मय फर्द नक्शे की दर्शाते हुये पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं उक्त सीमज्ञान में कायम किये गये निशानात को अप्रार्थीगण द्वारा मिटाने पर आमादा है। अप्रार्थीगण नहीं चाहते है कि विवाद समाप्त हो और प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त कर सके जिस हेतु विधि अनुसार किये गये सीमाज्ञान को नहीं मानते एवं प्रार्थी की आराजीयात के कब्जे काश्त में आये दिन मजाहमत करते है क्योंकि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी नहीं हो रखी है। सीमाज्ञान दिनांक 28/05/2014 एवं आदेश क्रमांक 10 दिनांक 20/05/2014 को उपतहसीलदार माधोराजपुरा के आदेश पर हुये सीमाज्ञान दिनांक 28/05/2014 को हुये सीमाज्ञान एवं कायम किये गये निशानात को अप्रार्थीगण नहीं मानते तथा प्रार्थी से आये दिन लडाई झगडा व मेर कोर को लेकर करते है तथा पत्थरगढी नहीं होने से अप्रार्थीगण विवाद उत्पन्न करते है इस कारण प्रार्थी को यह पत्थरगढी प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी हुआ है। सीमाज्ञान दिनांक 28/05/2014 एवं उपतहसीलदार माधोराजपुरा के आदेशानुसार किये गये सीमाज्ञान दिनांक 28/05/2014 के अनुसार यदि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढी के

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

आदेश प्रदान किये जाकर पत्थरगढी कर दी जाती है तो मौके पर उपस्थित विवाद समाप्त हो सकेगा एवं प्रार्थी को न्याय मिल सकेगा।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 28/05/2014 व उपतहसीलदार माधोराजपुरा के द्वारा पारित आदेश क्रमांक 10 दिनांक 20/05/2014 के पालना के अनुसार पटवारी हल्का सेहदरिया के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा किये गये सीमाज्ञान दिनांक 28/05/2014 के मुताबिक खतौनी संख्या 141 के आराजी खसरा नंबर 417 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि वाके ग्राम सेहदरिया, पटवार हल्का सेहदरिया, भू.अभि.नि.क्षेत्र डाबिच, तहसील फागी में स्थित आराजी की पत्थरगढी के आदेश फरमाये जावे, इस बाबत तहसीलदार फागी व उपतहसीलदार माधोराजपुरा को एवं आवश्यकता हो तो पुलिस थाना फागी को तहरीर भिजवाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। दिनांक 10.10.2017 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से श्री दौलतराम जाट एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 7 व 8 की ओर से पैरोकार राज0 उप0। दिनांक 23.01.2018 को वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 ने जवाब प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 08.02.2018 को अप्रार्थी संख्या 7 व 8 की ओर से पैरोकार राज0 ने जवाब प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार फागी ने अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किये है कि उक्त उनवानी प्रकरण के खसरा नंबरान पूर्व में दिनांक 28.05.2014 को सीमाज्ञान कराके निशानात करवा दिया गया है अगर नियमानुसार पत्थरगढी के आदेश फरमावे तो आपत्ति नहीं है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी, जवाब अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6, सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 28.05.2014, नक्शा ट्रेस, तहसीलदार फागी की रिपोर्ट इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन मैनें यह पाया कि प्रार्थी खसरा नंबर 417 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा ग्राम सेहदरिया, तहसील फागी, जिला जयपुर का रिकॉर्डेड खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

काश्तकार है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 28.05.2014 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है।

चूंकि पक्षकारान के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद है जिसके स्थायी निराकरण के लिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की आराजीयात पर पत्थरगढी करवाना जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार फागी को आदेश दिया जाता है वह मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 28.05.2014 के अनुसार खसरा नंबर 417 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा ग्राम सेहदरिया, तहसील फागी, जिला जयपुर की भूमि की सीमाओ पर पडौसी खातेदारो की उपस्थिति में पत्थरगढी की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27/02/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी